कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, मेडिकल कॉलेज रोड, रायपुर

(शाखा-उत्पादन)

क्रमांक/14/उत्पा.2/386/09/ 1731 रायपुर, दिनांक 31-10-2009

प्रति,

समस्त वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
छत्तीसगढ़

विषय—काष्ठ के प्रचलित वर्गीकरण में संशोधन।

संदर्भ—अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन), मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक/अ.प्र.मु.व.सं.उ./ राजस्व—1/6821 भोपाल, दिनांक 27/11/1998.

—:0:—

कृपया अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन), मध्यप्रदेश भोपाल के संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। इस पत्र के माध्यम से प्रदेश में साल/ सागौन काष्ठ के विक्रय डिपो में वर्गीकरण के निर्देश जारी किए गए एवं इन्हीं निर्देशों के अधीन प्रदेश में काष्ठ वर्गीकरण की कार्यवाही की जा रही है।

2. विभिन्न विक्रय काष्ठागारों में वर्गीकरण कार्यो का निरीक्षण करने के उपरांत यह तथ्य प्रकाश में आया है कि इन निर्देशों का पालन या तो अक्षरशः नहीं किया जा रहा है, या तो इसकी जटिलताओं के कारण इन निर्देशों को लागू करने में कर्मचारियों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही भिन्न—भिन्न वन वृत्तों में भिन्न—भिन्न रीति से वर्गीकरण कर विक्रय की कार्यवाही की जा रही है। उदाहरण के रुप में सरगुजा वन वृत्त में साल/ सागौन काष्ठ में द्वितीय श्रेणी को दो भागों अ एवं ब में विभक्त कर वर्गीकरण किया जा रहा है, जबकि अन्य वृत्तों में केवल द्वितीय श्रेणी का एक ही वर्ग निर्धारित किया गया है। जहां तक विक्रय हेतु काष्ठ वर्गीकरण का प्रश्न है, यह दो बातों पर निर्भर करता है। प्रथम लट्ठे से प्राप्त होने वाले चिरान का प्रतिशत एवं दूसरा लट्ठे से प्राप्त होने वाले काष्ठ की गुणवत्ता। फलस्वरुप, वर्गीकरण में लट्ठे में टेपरिंग, गठानों की संख्या तथा खार एवं पोलापन महत्वपूर्ण आधार होता है। सामान्यतया लट्ठे से प्राप्त होने वाले निम्नानुसार चिरान प्रतिशत के आधार पर लट्ठों का वर्ग का निर्धारण किया जाता है :—

क्र.	चिरान प्रतिशत	वर्गीकरण
1	80 प्रतिशत से अधिक	प्रथम श्रेणी
2	70 से 80 प्रतिशत	द्वितीय श्रेणी
3	55 से 70 प्रतिशत	तृतीय अ श्रेणी
4	40 से 55 प्रतिशत	तृतीय ब श्रेणी
5	25 से 40 प्रतिशत	चतुर्थ अ श्रेणी
6	20 से 25 प्रतिशत	चतुर्थ ब श्रेणी

C.C.F.
(H.R.D/I.T.)
C.G. Raipur

31/10/09

इसी प्रकार काष्ठ की गुणवत्ता के आधार पर भी व्यापारिक दृष्टि से काष्ठ का वर्गीकरण किया जाता है, क्योंकि लट्ठे में गठान या खार होने से काष्ठ की गुणवत्ता प्रभावित होती है, फलस्वरुप निम्नानुसार दोषों के आधार पर भी काष्ठ का वर्गीकरण किया जाता है :—

क्र.	गठानों की संख्या	खार की स्थिति	वर्गीकरण
1	कोई गठान नहीं	कोई खार नहीं	प्रथम श्रेणी
2	कोई गठान नहीं	कोई खार नहीं	द्वितीय श्रेणी
3	3 मी. पर अधिकतम 6 गठान	कोई खार नहीं	तृतीय अ श्रेणी
4	3 मी. पर 10 से 12 गठान	कोई खार नहीं	तृतीय ब श्रेणी
5	3 मी. पर 15 से 20 गठान	खार विद्यमान	चतुर्थ अ श्रेणी
6	3 मी. पर 15 से 20 गठान	दोनों सिरों पर पोलापन	चतुर्थ ब श्रेणी

3. विगत वर्षों में टिम्बर व्यवसाय तथा बाजार की मांग को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण प्रदेश में काष्ठ वर्गीकरण प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। इससे जहां एक ओर संपूर्ण वृत्तों में काष्ठ के अवरोध मूल्य में एकरुपता स्थापित करने में सहायता होगी, वहीं दूसरी ओर कर्मचारियों को भी सरलीकृत निर्देशों को लागू करने में आसानी होगी। चूंकि साल, सागौन, बीजा एवं अन्य मिश्रित प्रजातियों के वृक्षों की संरचनाओं में भिन्नता होती है, अतः प्रजातियों के आधार पर वृक्षों को चार प्रमुख भागों साल, सागौन तथा बीजा, हल्दू, तिन्सा, मुंडी, खम्हार एवं अन्य प्रजातियों में विभक्त कर पूर्व प्रचलित वर्गीकरण निर्देशों में संशोधन कर निम्नानुसार वर्गीकरण निर्धारित किया जाता है :—

<u>क—साल प्रजाति का वर्गीकरण</u> :—

साल प्रजाति में सामान्यतः तने पर नालियां, दरार नहीं रहती हैं, अतः साल प्रजाति का वर्गीकरण निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :—

क्र.	वर्ग	साल काष्ठ का संरचनात्मक विवरण
1	प्रथम श्रेणी	कोई टेढ़ापन नहीं, कोई खार नहीं, कोई गठान नहीं, टेपरिंग अधिकतम 5 प्रतिशत
2	द्वितीय श्रेणी	कोई टेढ़ापन नहीं, कोई खार नहीं, कोई गठान नहीं, टेपरिंग 10 से 12 प्रतिशत तक
3	तृतीय अ श्रेणी	कोई खार नहीं, 3 मी. लंबाई में अधिकतम 5 गठानें तथा 3 मी. लंबाई में अधिकतम 5 से. मी. का टेढ़ापन
4	तृतीय ब श्रेणी	कोई खार नहीं, 3 मी. लंबाई में अधिकतम 10 से 12 गठान तथा 3 मी. लंबाई में अधिकतम 10 से. मी. का टेढ़ापन
5	चतुर्थ अ श्रेणी	खार सहित, 3 मी. लंबाई में 15 से अधिक गठानें तथा 3 मी. लंबाई में अधिकतम 10 से. मी. का टेढ़ापन
6	चतुर्थ ब श्रेणी	दोनों सिरों पर पोलापन, 3 मी. लंबाई में 15 से 20 गठानें तथा 3 मी. लंबाई में अधिकतम 10 से. मी. का टेढ़ापन

ख—सागौन प्रजाति का वर्गीकरण :—

चूंकि सागौन प्रजाति में छाती गोलाई तक flooting रहती है, अतः सागौन प्रजाति का वर्गीकरण साल से भिन्न होगा, इस हेतु निम्नानुसार मानक निर्धारित किया जाता है :—

क्र.	वर्ग	सागौन काष्ठ का संरचनात्मक विवरण
1	प्रथम श्रेणी	कोई टेढ़ापन नहीं, कोई खार नहीं, कोई गठान नहीं, कोई नाली नहीं, टेपरिंग अधिकतम 5 प्रतिशत
2	द्वितीय श्रेणी	कोई टेढ़ापन नहीं, कोई खार नहीं, कोई गठान नहीं, अधिकतम 2 से. मी. गहरी नालियां तथा टेपरिंग 10 से 12 प्रतिशत
3	तृतीय अ श्रेणी	कोई खार नहीं, 3 मी. लंबाई में अधिकतम 5 गठानें तथा 3 मी. लंबाई में अधिकतम 5 से. मी. का टेढ़ापन एवं अधिकतम 5 से. मी. तक गहरी नालियां मान्य
4	तृतीय ब श्रेणी	कोई खार नहीं, 3 मी. लंबाई में 10 से 12 गठान तथा 3 मी. लंबाई में अधिकतम 10 से. मी. का टेढ़ापन एवं अधिकतम 10 से. मी. गहरी नालियां
5	चतुर्थ अ श्रेणी	खार सहित, 3 मी. लंबाई में 15 से अधिक गठानें तथा 3 मी. लंबाई में अधिकतम 10 से. मी. का टेढ़ापन एवं मध्यम गहराई की नालियां
6	चतुर्थ ब श्रेणी	दोनों सिरों पर अधिकतम 20 प्रतिशत तक पोलापन, 3 मी. लंबाई में 15 से 20 गठानें तथा 3 मी. लंबाई में अधिकतम 10 से. मी. का टेढ़ापन एवं गहरी नालियां
7	पंचम श्रेणी	दोनों सिरों पर अधिकतम 40 प्रतिशत तक पोलापन, 3 मी. लंबाई में 15 से 20 गठानें तथा 3 मी. लंबाई में अधिकतम 10 से. मी. का टेढ़ापन एवं गहरी नालियां

ग—बीजा, हल्दू, मुंडी, साजा, खम्हार का वर्गीकरण :—

चूंकि बीजा, हल्दू, शीशम, मुंडी में गठानें एवं शाखाएं अधिक होती हैं, अतः इनका वर्गीकरण साल तथा सागौन से आंशिक रुप से भिन्न होता है :—

क्र.	वर्ग	बीजा, हल्दू, खम्हार काष्ठ का संरचनात्मक विवरण
1	प्रथम श्रेणी	कोई टेढ़ापन नहीं, कोई खार नहीं, कोई गठान नहीं, टेपरिंग अधिकतम 5 प्रतिशत
2	द्वितीय श्रेणी	कोई टेढ़ापन नहीं, कोई खार नहीं, 3 मी. लंबाई में अधिकतम 5 गठान, टेपरिंग 15 प्रतिशत

क्र.	वर्ग	बीजा, हल्दू, खम्हार काष्ठ का संरचनात्मक विवरण
3	तृतीय अ श्रेणी	कोई खार नहीं, 3 मी. लंबाई में अधिकतम 8 से 10 गठानें तथा 3 मी. लंबाई में अधिकतम 5 से. मी. का टेढ़ापन
4	तृतीय ब श्रेणी	खारयुक्त, 3 मी. लंबाई में 15 गठानें तथा 3 मी. लंबाई में अधिकतम 10 से. मी. का टेढ़ापन
5	चतुर्थ श्रेणी	20 प्रतिशत का पोलापन, 3 मी. लंबाई में 15 से अधिक गठानें तथा 3 मी. लंबाई में अधिकतम 10 से. मी. का टेढ़ापन

घ—अन्य प्रजातियों का वर्गीकरण :—

अन्य प्रजातियों का वर्गीकरण निम्नानुसार है :—

क्र.	वर्ग	अन्य प्रजाति की काष्ठ का संरचनात्मक विवरण
1	प्रथम श्रेणी	कोई टेढ़ापन नहीं, कोई खार नहीं, कोई गठान नहीं, टेपरिंग अधिकतम 5 से 10 प्रतिशत
2	द्वितीय श्रेणी	कोई टेढ़ापन नहीं, कोई खार नहीं, 3 मी. लंबाई में अधिकतम 5 गठानें, टेपरिंग 15 प्रतिशत
3	तृतीय श्रेणी	खारयुक्त, 3 मी. लंबाई में अधिकतम 8 से 10 गठानें तथा 3 मी. लंबाई में अधिकतम 10 से. मी. का टेढ़ापन
4	चतुर्थ श्रेणी	20 प्रतिशत का पोलापन, 3 मी. लंबाई में 15 से अधिक गठानें तथा 3 मी. लंबाई में अधिकतम 10 से 12 से. मी. का टेढ़ापन

टीप :— अगर किसी लट्ठे का तना जला हो या फिर कीट/ दीमक के प्रकोप से क्षतिग्रस्त हो गया हो, या किसी कारणों से दरार पड़ गई हो, तब उपरोक्तानुसार समस्त प्रजातियों के निर्धारित वर्गीकरण में उसे एक वर्ग नीचे के वर्ग में वर्गीकृत किया जाएगा।

यह वर्गीकरण दिनांक 01/11/09 से तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है। कृपया समस्त वनमण्डलाधिकारियों को इसकी प्रति प्रेषित कर इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें।

31/10/2009

(बी. के. सिन्हा)
मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
छत्तीसगढ़, रायपुर

पृ. क्रमांक/14/उत्पा.2/386/09/ 1732 रायपुर, दिनांक 31-10-2009

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर को सूचनार्थ।
2. समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ रायपुर को सूचनार्थ।

31/10

मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
छत्तीसगढ़, रायपुर

पृ. क्रमांक/14/उत्पा.2/386/09/ 1733 रायपुर, दिनांक 31-10-2009

प्रतिलिपि :–

स्टाफ ऑफिसर, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ रायपुर को सूचनार्थ।

31/10

मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
छत्तीसगढ़, रायपुर